भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2340
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य

2340. **श्री मुरारी लाल मीना:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत कुछ वर्षों में छात्र आत्महत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है और देश में कुल आत्महत्या के मामलों में छात्रों का अनुपात एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यदि हाँ, तो विगत पाँच वर्षों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर परीक्षाओं, प्रतिस्पर्धा, करियर से जुड़े दबाव, माता-पिता की अपेक्षाओं और सामाजिक तनाव के प्रभाव पर कोई अध्ययन किया है और यदि हाँ, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आकलन किया है कि उच्च बेरोजगारी, प्रश्नपत्र लीक और शिक्षा पूरी होने के बाद रोजगार के बारे में अनिश्चितता भी छात्रों के बीच तनाव और निराशा के प्रमुख कारक हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो छात्र आत्महत्या की घटनाओं को कम करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस और समय-बद्ध कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) पुलिस द्वारा दर्ज आत्महत्या के मामलों से आत्महत्याओं संबंधी डेटा एकत्र करता है। देश में आकस्मिक मौतों और आत्महत्याओं से संबंधित डेटा का व्यापक विश्लेषण राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्टों में किया जाता है। एडीएसआई रिपोर्ट के अनुसार, पारिवारिक समस्याएं, प्रेम संबंध, बीमारी तथा परीक्षा में असफलता छात्र आत्महत्याओं के प्रमुख कारण हैं। छात्र आत्महत्याओं का वर्ष-वार, राज्य-वार, जेंडर-वार और

आयु वर्ग-वार विवरण एडीएसआई रिपोर्ट में उपलब्ध है जो https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html पर देखा जा सकता है।

आत्महत्या की समस्या से निपटने के लिए सरकार बहुआयामी उपाय कर रही है तथा आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक एवं भावनात्मक कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान कर रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 में यह माना गया है कि शिक्षा को चरित्र का निर्माण करना चाहिए और शिक्षार्थियों को लाभकारी और पूर्ण रोजगार के लिए तैयार करते हुए नैतिक, तर्कसंगत, दयालु और देखभाल करने वाले व्यक्ति बनने में सक्षम बनाना चाहिए। यह नीति समग्र और बहु-विषयक शिक्षा पर जोर देती है जो संज्ञानात्मक विकास, चरित्र निर्माण, रचनात्मकता और 21वीं सदी के प्रमुख कौशल को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य विभिन्न विषयों में क्षमताओं के साथ-साथ अपने चुने हुए क्षेत्रों में गहन ज्ञान वाले व्यक्तियों को विकसित करना है। एनईपी 2020 उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का समर्थन करने और मानसिक तनाव को कम करने के लिए शारीरिक फिटनेस, अच्छे स्वास्थ्य, मनोसामाजिक कल्याण और स्वस्थ नैतिक आधार के माध्यम से छात्र कल्याण को बढ़ावा देने के महत्व को भी रेखांकित करती है।

शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, मनोदर्पण, छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक और भावनात्मक कल्याण हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित परामर्शदाता के माध्यम से कॉल करने वालों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन; सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी हितधारकों, छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से आयोजित लाइव इंटरैक्टिव सत्र 'सहयोग' और वेबिनार 'परिचर्चा' जैसी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती हैं। ये सत्र पीएम ई-विद्या चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं और 'एनसीईआरटी आधिकारिक' यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं।

यूजीसी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति को प्रसारित करते हुए जनवरी, 2023 में एचईआई को परामर्शिका जारी की है। यूजीसी ने दिनांक 13.04.2023 को दिशानिर्देश जारी किए, जिनमें छात्रों के लिए शारीरिक फिटनेस एवं खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने, शैक्षणिक दबाव, साथियों के दबाव, व्यवहार संबंधी समस्याओं, तनाव, करियर संबंधी चिंताओं, अवसाद तथा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अन्य मुद्दों से सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करने, छात्र समुदाय में सकारात्मक सोच एवं सकारात्मक भावनाओं का विकास करने तथा छात्रों के लिए एक सकारात्मक एवं सहयोगात्मक परिवेश को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई, 2023 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण संबंधी एक रूपरेखा दिशानिर्देश प्रसारित किया है, जिसमें इसे संस्थागत कार्यप्रणाली में शामिल करने और छात्र समुदाय में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के लिए सक्रिय उपाय करने का अनुरोध किया गया है। इन दिशानिर्देशों में निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित

करने के लिए परामर्श सेवाओं, संकट की शीघ्र पहचान, आत्महत्या रोकथाम एसओपी, छात्र सहायता नेटवर्क, सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र और समय-समय पर संस्थागत समीक्षा पर बल दिया गया है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग केंद्रों के विनियमन हेतु दिशानिर्देश (जनवरी 2024) जारी किए गए हैं, जिसमें छात्र सहायता एवं सुरक्षा उपायों जैसे परामर्श सुविधाओं, पारदर्शी शुल्क संरचनाओं, बैच विभाजन पर प्रतिबंध तथा ऐसी प्रथाओं से सुरक्षा के प्रावधानों को अनिवार्य किया गया है, जो शैक्षणिक दबाव को बढ़ाती हैं। इन उपायों के माध्यम से छात्रों के मानसिक कल्याण की सुरक्षा को शैक्षणिक परिसरों से आगे बढ़ाकर कोचिंग संस्थानों तक विस्तारित किया गया है।

मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, प्रतिरक्षात्मकता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की संकल्पना की गई है। इस एकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, उच्चतर शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों के साथ दो पाक्षिक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित चिंताओं का समाधान करने और समय पर हस्तक्षेप करने के लिए सशक्त किया जा सके। नवंबर, 2024 में आईआईटी हैदराबाद में और नवंबर, 2025 में आईआईटी बॉम्बे में वार्षिक राष्ट्रीय कल्याण कॉन्क्लेव आयोजित किए गए। दिनांक 12-13 जुलाई 2026 को आईआईटी मद्रास में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी एक क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें संस्थागत प्रमुखों, संकाय, छात्रों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने और परिसर के कल्याण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक साथ लाया गया। मई 2024 से 4000 से अधिक संकाय ने ऑनलाइन क्षमता निर्माण सत्रों, सम्मेलनों और क्षेत्रीय कार्यशालाओं में भाग लिया है।

सभी आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और आईआईआईटी ने अपने परिसरों में समर्पित मानसिक स्वास्थ्य या परामर्श केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें पूर्णकालिक या विजिटिंग पेशेवर परामर्शदाता, नैदानिक मनोवैज्ञानिक और कुछ मामलों में मनोचिकित्सक तैनात हैं। बड़ी संख्या में संस्थान मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने, इससे जुड़े कलंक को कम करने तथा छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करते हैं। इन सत्रों में तनाव प्रबंधन, सामना करने की कार्यनीतियाँ तथा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के संकेतों की पहचान जैसे विषयों को शामिल किया जाता है। कुछ संस्थान परिसर के अंदर एवं बाहर परामर्श सेवाएँ भी प्रदान करते हैं, जहाँ छात्र मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

एनईपी 2020 में रोजगार क्षमता, उद्यमिता और आजीवन अधिगम को बढ़ाने के लिए मुख्यधारा की उच्च शिक्षा के साथ कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की परिकल्पना की गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कौशल विकास को तकनीकी शिक्षा में शामिल करके सक्रिय रूप से सुदृढ़ कर रहा है। यह कौशल-केंद्रित कार्यक्रमों, अनिवार्य इंटर्नशिप और व्यावसायिक डिग्री के साथ-साथ नियमित पाठ्यक्रम के साथ ऑनलाइन कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए उद्योगों और संस्थानों के साथ साझेदारी करता है।

कौशल विकास का समर्थन करने के लिए, स्वयम् प्लस पोर्टल भी शुरू किया गया है, जो कार्यबल के कौशल को बढ़ाने तथा फिर से कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। 17 क्षेत्रों में 89 उद्योग भागीदारों से 500 से अधिक पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं तथा एआई, डेटा विश्लेषक आदि जैसे उभरते क्षेत्रों पर प्रस्तुत किए गए हैं। अब तक, 6,00,000 से अधिक छात्रों ने प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया है।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके अकादमिक शिक्षा और उद्योग की आवश्यकताओं के बीच की कमी को पूरा करती है। यह योजना अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) के माध्यम से उद्योग-एकीकृत शिक्षा को बढ़ावा देती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे उभरते क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप का समर्थन करती है, और एनएटीएस मूल्यांकन और क्रेडिटाइजेशन फ्रेमवर्क के माध्यम से अकादमिक क्रेडिट एकीकरण की सुविधा प्रदान करती है।
